

भारतीय मानक ब्यूरो
वित्त विभाग

हमारा सन्दर्भ: वित्त/2२३७/आय कर/ 2019-20

15 मई 2019

विषय: वर्ष 2019-20 के लिए आय कर गणना के योजनार्थ विवरण

परिपत्र संख्या बी.आई.एस./मुख्यालय/वित्तपरिपत्र (06)/2019 दिनांक 15 मई 2019 आवश्यक कार्यवाही हेतु सलंगन है।

हस्ता
(गुरप्रीत सिंह)
निदेशक (वित्त)

परिचालित सेवा में भा मा ब्यूरो इंटरनेट के माध्यम से :

- सभी क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा कार्यालय / एन आई टी एस / केंद्रीय प्रयोगशाला के प्रमुख
- मुख्यालय के सभी विभागों के प्रमुख
- भा मा ब्यूरो के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी
- भारतीय मानक के सभी पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स

प्रतिलिपि - जानकारी के लिए :

- महानिदेशक/अपर महानिदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी/सभी उपमहानिदेशक

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग - भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर रखने के लिए

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(FINANCE DEPARTMENT)

Our Ref: FIN/2:37/Income Tax/2019-20

15 May 2019

Subject: Particulars for the purpose of Income Tax Calculations for the year 2019-20

The Circular No. BIS/FIN/HQ/Circular(06)/2019 dated 15 May 2019 on the captioned subject is enclosed for necessary action.

sd/-
(Gurpreet Singh)
Director (Finance)

Circulated through Intranet to:

- Heads of ROs/BOs/ CL/NITS
- Heads of all Departments at HQ
- All Official of BIS
- All pensioners/family pensioners of BIS

Copy for Information:

- DG/ADG/CVO/ All DDGs

Copy to: ITSD for placing on BIS INTRANET

भारतीय मानक ब्यूरो
(वित्त विभाग)

विषय: वर्ष 2019-20 के लिए आयकर परिकलन के प्रयोजन के लिए विवरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वेतन/पेंशन से काटी जाने वाली आयकर की गणना को अंतिम रूप देने के लिए, भा मा ब्यूरो के सभी कर्मचारियों/पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स को निर्धारित प्रोफार्मा में(F1-48-भा मा ब्यूरो के सेवारत कर्मचारी और एफ1-48A-भा मा ब्यूरो के पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स के लिए (क्रमांक 47 & 48 क्रमशः), अपनी बचत का ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाता है। यह जानकारी **04 जुलाई 2019** तक वित्त विभाग में जमा करा दें अन्यथा आय कर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VIA के तहत किसी भी बचत पर विचार किए बिना ही कर ली जाएगी (जी पी एफ, एन पी एस और सी जी एच एस अंशदान को छोड़कर)

वित्त विभाग को 48/48A प्रपत्र जमा करने से पहले, निम्नलिखित को ध्यान में रखे :

(i) धारा 10 (13A) यानी मकान किराया भत्ता के तहत छूट का दावा करने की इच्छा रखने वाले कर्मचारियों को किराये की रसीद को विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांक कर अन्य विवरण जैसे किराये का पता, मकान मालिक का नाम, मकान मालिक का पैन (यदि किराया भुगतान १.०० लाख रुपए से अधिक है तो पैन नंबर देना है) जमा कराने की आवश्यकता है ।

यदि किराया रसीद को जमा करना संभव नहीं है, तो कर्मचारी किराए की राशि की वापसी दर्शाने वाले बैंक विवरण के साथ किराए पर दिए गए समझौते की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत कर सकता है । हालांकि, अगर किराया राशि 1.00 लाख से अधिक है तो किराया भुगतान के मामले में मकान मालिक के पैन की कॉपी अनिवार्य है ।

(ii) धारा 24(ख) के तहत छूट का दावा करने के मामले में यानी "मकान निर्माण अग्रिम पर ब्याज", फार्म 24 में आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, नाम, पैन नंबर जैसे ऋणदाता का ब्योरा आदि आवश्यक हैं । तदनुसार, जो कर्मचारी मकान निर्माण ऋण पर ब्याज पर छूट का दावा करना चाहते हैं, उन्हें बैंक/वित्तीय संस्था का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए साथ ही मूलधन राशि का उचित ब्योरा (ऋण भुगतान किया जाना है), मकान निर्माण ऋण पर ब्याज और बैंक/वित्तीय संस्थाका पैन नं. फार्म ४८ के साथ जमा कराना आवश्यक है ।

(iii) जिन कर्मचारियों को वेतन के अलावा अन्य आय अर्थात वेतन के अतिरिक्त आय होती है, वे निर्धारित प्रोफार्मा F1-49 में उस राशि को फार्म 48/48 ए के साथ सूचित कर सकते हैं ।

हस्ता
(गुरप्रीत सिंह)
निदेशक (वित्त)

हमारा संदर्भ: वित्त/2.37/आय कर/2018-19

दिनांक : 15 मई 2019

परिचालित सेवा में भा मा ब्यूरो इंटरनेट के माध्यम से :

- सभी क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान / केंद्रीय प्रयोगशाला के प्रमुख
- मुख्यालय के सभी विभागों के प्रमुख
- भा मा ब्यूरो के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी
- भा मा ब्यूरो के सभी पेंशनर्स/फ़ैमिली पेंशनर्स

प्रतिलिपि - जानकारी के लिए :

- महानिदेशक/अपर महानिदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी/सभी उप महानिदेशक

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग - भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर रखने के लिए

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(FINANCE DEPARTMENT – HQ)

Subject: Particulars for the purpose of Income Tax Calculations for the year 2019-20

In order to finalize calculation of Income Tax to be deducted from the salary/pension for the financial year 2019-20, all employees/pensioners/family pensioners of BIS, are requested to furnish the particulars of their savings in the prescribed Proforma **F 1 – 48 - for serving employees of BIS and F 1 – 48A - for pensioners/family pensioners of BIS (at S. No. 47 & 48 respectively of frequently used forms)**, to Finance Department by **04 July 2019** positively, failing which tax will be calculated without taking into consideration of any savings covered under Chapter VIA of the Income Tax Act, 1961 (excluding GPF, NPS & CGHS Contribution).

Before submitting Form 48/48A to Finance Department, the followings to be noted:

- i) In case, the employees who wish to claim rebate under Section 10(13A) i.e. House Rent Allowance, have to submit Rent Receipt(s) duly signed and stamped along with other details such as rental address, name of landlord, PAN of landlord (PAN No. is required only in case rent paid is more than Rs. 1.00 lakhs p.a.).
In case if it is not possible to submit rent receipt(s), the employee can also submit copy of rented agreement along with bank statement showing withdrawal of rent amount. However, copy of PAN of landlord is compulsory in case of rent paid is more than Rs. 1.00 lakhs p.a.
- ii) In case of claiming rebate under Section 24(b) i.e. Interest on House Building Advance, while filing Income Tax Return in Form 24, the details of Lender such as name, PAN No. etc are required. Accordingly, the employees who wish to claim rebate on Interest on House Building Loan, should submit the statement of Bank/Financial Institution having proper details of Principal amount (loan to be paid), Interest on House Building Loan and PAN No. of Bank/Financial Institution, along with Form 48.
- iii) The employees, who have Other Income i.e. Income other than Salary, may inform the same in the prescribed Proforma **F 1 – 49 along with Form 48/48A**.

Sd/-

(Gurpreet Singh)
Director (Finance)

Our Ref: FIN/2:37/Income Tax/2019-20

Date: 15 May 2019

Circulated through Intranet to:

- **Heads of ROs/BOs/ CL/NITS**
- **Heads of all Departments at HQ**
- **All Official of BIS**
- **All pensioners/family pensioners of BIS**

Copy for Information:

- **DG/ADG/CVO/ All DDGs**

Copy to: ITSD for placing on BIS INTRANET